| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 30/5/25 | पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी वास्ते पेश हुई। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि वादिनी द्वारा जिस भूमि के बंटवारे व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश किया गया है उस भूमि या भाग से वादिनी का कोई सम्बंध किसी प्रकार का नही है और न ही उसका कभी कोई कब्जा ही उक्त भूमि या भाग पर रहा है तथा वादिनी का जब विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार ही नही है तो फिर उसे बंटवारे व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने का कोई भी अधिकार नही है और वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद ऑर्डर 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रथमदृष्टया ही खारिज होने योग्य है। वादिनी द्वारा वाद बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुये मिथ्या तथ्यो के आधार पर दुर्भावना का आशय रखते हुये काल्पनिक तथ्यो पर प्रस्तुत किया गया है जो उचित वाद कारण से अभाव में खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी नं0 1 उक्त भूमि का एकमात्र मालिक व रिकॉर्डेड खातेदार है और बतौर खातेदार आराजी पर काबिज काश्त है तथा वादिनी उसकी पुत्री है, जिसका विवाह हो चुका है और वह ससुराल में सुखपूर्वक निवास कर रही है और उसको उक्त विवाह अत्यधिक दान दहेज उसके हिस्से के रूप में पूर्व में ही दिया जा चुका है इसीलिये विवादित आराजी में न तो वह हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है और न किसी प्रकार की निषेधाज्ञा ही जारी कराने की अधिकारी है। वादी उक्त आराजी की न तो कोई किस्त परिवर्तित करवा रहा है और न ही उस पर कोई प्लानिंग काट कर बेचान करने का कोई कृत्य किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में पेश किया गया वाद काल्पनिक तथ्यों पर आधारित होने से भी प्रथम दृष्टया ऑर्ड 7 रूल 11 सीपीसी के तहत खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत कानूनन चलने योग्य नही होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज फरमाया जावे।<br><br>वादीनी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी पेश निवेदन किया है कि वाद कारण जो विधि का मिश्रित प्रश्न है जो तनकीयात व साक्ष्य कायम किये जाने के बाद निर्णित किया जावेगा। इस आपत्ति प्रतिवादी अपने जवाब दावे में ला सकता है। वाद वर्णित आराजीयात वादी के दादा व प्रतिवादी क्रम 1 के पिता रामजीवन के खाते दर्ज थी और रामजीवन के देहांत के बाद वाद वर्णित आराजी प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज हुई जो पैतृक आराजी है। प्रतिवादी नं0 1 स्वअर्जित आराजी नही है इसलिये वादिनी का उक्त आराजीयात का पैतृक होने से वादिनी का जो उसमें हिस्सा बना उसे प्राप्त करने का विधित अधिकार वादिनी को है, व विवादित आराजीयात पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की भी वादिनी अधिकारी है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रार्थना पत्र केवल वादिनी का वाद को लम्बित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्तियां इस स्टेज पर नही देखी जा सकती है न्यायालय को इस स्टेज पर वाद पत्र व शपथ पत्र पर निर्णित करना है और प्रार्थना पत्र में अंकित आपत्तियां, न्यायालयय द्वारा तनकीयात व साक्ष्य रिकॉर्ड पर लिये जाने के बाद ही निर्णित की जा सकती है इसलिये इस स्टेज पर प्रतिवादी नं0 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | नियम 11 सीपीसी खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी नं0 1 का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।<br>प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गइ। वादीनी की ओर से दौराने बहस अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया एवं प्रतिवादी की ओर से बहस प्रार्थना पत्र नही की गई।<br>बहस वादीपक्ष सुने जाने के पश्चात प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रस्तुत वाद के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीनी द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादनी के हिस्से बनने वाली कृषि आराजी का हिस्सा पृथक करने एवं वादीनी के हिस्से बनने वाली आराजी के हिस्से से वादीनी को बेदखल, कब्जा नही करने हेतु प्रतिवादी नं0 1 को पाबंद करने के अनुतोष का वाद पेश किया है, ऐसी स्थिति में वादपत्र के संपूर्ण अभिवचनों व तथ्यों से वादीगण को हस्तगत वाद लाने का स्पष्ट वाद कारण प्रकट होता है और यह नही कहा जा सकता कि वादीनी को प्रस्तुत वाद का कोई वादकारण प्रकट नही होता हो। इसके अलावा जहॉ तक प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादीनी के हक हिस्से होने या नही होने तथा कब्जा काश्त नही होने के संबन्ध मे जो भी आपत्तियॉ उठाई गई है वे आपत्तियॉ प्रतिवादी की प्रतिरक्षा है जिनके आधार पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दावा खारिज नही किया जा सकता। प्रतिवादी अपनी उक्त आपत्तियॉ व प्रतिरक्षा को अपने जवाबदावें में उठाने हेतु स्वतंत्र है जिनपर तनकीयात कायम कर साक्ष्य आदि लिए जाकर समुचित न्याय निस्तारण किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी के तहत खारिज किए जाने योग्य नही पाया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब दावा दिनांक 16/6/25 को पेश हो। | |